न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः– 11/2017

उनवानः–

1. तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ——————————प्रार्थी

बनाम

1. भगवती प्रसाद पुत्र ब्रम्हजीत सा0 सिंघावली
2. रामजीलाल पुत्र भवानीपाल लोधा निवासी दिहौली
3. भूदेवी पत्नि गुलाबसिंह उर्फ नानकचन्द नि0 दुल्हारा
4. रामेश्वर दयाल पुत्र ईश्वरीदयाल लोधा सा0 मलिकपुर
5. जिला लोधी क्षेत्रीय समाज धौलपुर
6. सा0 केन्द्र भवन ग्रा0पं0 लुहारी ————————————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– श्री गोपाल नारायण शर्मा, पैरोकार सरकार
श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः– 30/05/2019

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 726/484 रकवा 03 बीघा 07 विस्वा किस्म बरानी दोयम बाके ग्राम दूंकापुरा तहसील धौलपुर में स्थित है। आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में है। अप्रार्थीगण को राज0 काश्तकारी कानून के नियमानुसार काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि सपंरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नही है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगणो ने अपने अधिकारों का उल्लघंन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एंव बिना अनुमति के विवादित आराजी 726/484 रकवा 3–07 बीघा पर पक्का निर्माण एंव भू–खण्ड पक्की वाउण्ड्री स्थापित कर दिया है। जो कानूनी रूप से अवैध है तथा बिना भूमि संपरिवर्तन कराये अप्रार्थीगणो को विवादित भूमि पर रेस्टोरेन्ट स्थापित करने एंव प्लाटिंग कार्य करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थीगण विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत उचित है। अतः अप्रार्थीगणो के द्वारा शर्तो का उल्लंघन किये जाने के प्रतिफल विवादित भूमि से बेदखल कर राज0 काश्तकारी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 726/484 अप्रार्थीगण की अधिकार खातेदारी में संयुक्त रूप से नही है बल्कि सहखातेदारों के मध्य बटवारा प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व हो चुका है। जिसका नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 29.06.16 को तस्दीक किया जा चुका है। अप्रार्थीगण ने किन्ही अधिकारों का उल्लघंन कर शर्त भंग नही की है। प्रार्थी ने अपने पक्ष में मिथ्या साक्ष्य सृजित करने के उद्देश्य से अंकित किये है। अप्रार्थीगण ने कोई अवैध निर्माण नही किया है विवादित आराजी पर कोई रेस्टोरेन्ट नही है ना ही कभी रहा है ना ही प्लाटिंग किया किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वराये बदनीयती दुर्भावना पूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रामजीलाल का निधन हो चुका है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही पोषणीय नही है। विवादित आराजी का बंटवारा राजस्व अभिलेख में हो चुका है। खसरा नम्बर 726/484/5 के आंशिक भाग पर आधा अधूरा निर्माण है शेष जगह खाली पडी है मौके पर अकृषि कार्य नही हो रहा है। 726/484/4 रकवा 19 विस्वा कुल रकवा खाली पडा है कोई निर्माण या अकृषि कार्य नही हो रहा है। 726/484/3 रकवा 12 विस्वा पर केवल सुरक्षा की दृष्टि से वाउण्डरी बाल बनी है कोई भवन निर्माण नही है 726/484/2 रकवा 6 विस्वा कुल रकवा मौके पर खाली है अकृषि कार्य नही हो रहा है कृषि कार्य हो रहा है। खसरा नम्बर 726/484/1 रकवा 10 विस्वा पर जनहित में जिला लोधी क्षत्रीय समाज धौलपुर का सामुदायिक भवन बना है। खसरा नम्बर 726/484/4 रकवा 19 विस्वा आंशिक भाग की भूमि रूपान्तरण पत्रावली नगर परिषद् धौलपुर में जमा करा दी है। उत्तरदाता भूमि रूपान्तरण फीस अदा करने हेतु तैयार है। खसरा नम्बर 726/484/5 रकवा 1 बीघा तथा खसरा नम्बर 726/484/03 की भूमि रूपान्तरण पत्रावली नगर परिषद् धौलपुर में प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का, जमाबन्दी सम्बत 2070–73 ग्राम दूं का पुरा पेश की अप्रार्थीगण ने साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ख.नं. 726/484 सम्बत् 2070 ग्राम दूंका पुरा, नक्शा ट्रेस, रशीद नगर परिषद् धौलपुर श्रीमती भूरीदेवी, श्री भगवती, रामेश्वर,प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 726/484 रकवा 3–07 बीघा भूमि बांके ग्राम दूका पुरा पर पक्का निर्माण व पक्की वाउन्ड्री बना ली गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आराजी से बेदखल किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 177 आरटीए के दायरी के वक्त नई जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई है। मूल खसरा नम्बर 726/484 रकवा 5 बीघा 7 विस्वा का प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही बंटवारा हो चुका था जिसके इन्द्राजात राजस्व अभिलेख में इन्तकाल नं. 219 दिनांक 29.6.16 से किये जा चुके है। वर्तमान में पृथक पृथक खाते कायम किये जा चुके है इसलिए सभी अप्रार्थीगणो के विरूद्ध एक ही मुकदमा प्रस्तुत किया जाना पोषणीय नही है। विभिन्न एकान्तिक खातेदारों को एक ही कार्यवाही में नही जोडा जा सकता है। अप्रार्थी रामजीलाल की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। जिसका अंकन अप्रार्थीगण के जवाब में किया गया है। प्रार्थी की ओर से कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वतः अवेट हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जावे।

दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रकरण अप्रेल 2017 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 06.11.2015 तथा जमाबन्दी सम्बत् 2070 से 2073 दिनांक 06.11.2015 की पेश की है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दायरी के समय से लगभग 17 माह पूर्व की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव जमाबन्दी के आधार पर कार्यवाही की गई है। जो नियमानुसर उचित नही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का में ख.नं. 726/484 में रकवा 3/07 बांके ग्राम दूंका पुरा में पक्की बाउन्ड्री व भूखण्ड काट दिया जाना अंकित किया है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से जमाबन्दी सम्बत् 2070–2073 दिनांक 28.08.2017 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही बंटवारा हो चुका है। तथा इ.नं. 219/29.06.2016 से रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। वर्तमान में ख.नं. 726/484 के नये बटा नम्बर बन चुके है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नही है कि निर्माण किस नम्बर पर हो रहा है तथा कौनसा नम्बर खाली है। प्रार्थी सरकार की ओर से नये नम्बर बनने के उपरान्त बदली हुई स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी रामजीलाल का निधन दिनांक 16.12.2017 को होना अपने जवाब में अंकित किया है जिसकी पुष्टि हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है। अप्रार्थी रामजीलाल के कायम मुकाम की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा नही की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही पोषणीय नही है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 30/05/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(भंवरलाल कांसोटिया)
उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)